(3)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 03/2017

बउनवान

श्री रमेशचन्द पुत्र लटूरलाल जाति धाकड़ निवासी केरवालिया तहसील अटरू
(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार कवाई **(अप्रार्थी)**

प्रार्थना पत्र बाबत पुनरावलोकन (रिव्यू) बाबत प्रकरण संख्या 270/2016 अपील नामान्तरकरण बउनवान रमेशचन्द बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29.12.2016

उपस्थिति :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (प्रार्थी)
2– पेरोकार सरकार (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 22.06.2018

प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा नामां. सं. 1706 दिनांक 27.07.2015 वाके मोठपुर तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अपील न्यायालय श्रीमान् में इस आशय की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.12.2016 द्वारा इस आधार पर प्रकरण संख्या 270/2016 अपील नामान्तरकरण बउनवान रमेशचन्द बनाम सरकार को खारिज किया कि भूमि एस.बी.बी.जे. शाखा अटरू के रहन दर्ज है, बैंक रहन दर्ज होने पर भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी रहन मुक्त होने के पश्चात प्रार्थी ने खरीद की थी तथा सम्बन्धित बैंक से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया था। अतः अपील का पुनरावलोकन किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः उक्त अपील का पुनरावलोकन किया जाकर पुनः निर्णय फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल पत्रावली अभिलेखागार से तलब की गई। पत्रावली प्राप्त नहीं होने पर अभिभाषक प्रार्थी ने सीधे बहस समाअत कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दी कि भूमि एस.बी.बी.जे. शाखा अटरू के रहन दर्ज है, बैंक रहन दर्ज होने पर भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती सकती। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी रहन मुक्त होने के पश्चात प्रार्थी ने खरीद की थी तथा सम्बन्धित बैंक से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार अटरू को निर्देशित फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण अपील संख्या 270/2016 निर्णय दिनांक 29.12.2016 पारित करते समय ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(4)

प्रार्थी द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था अब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नो ड्यूज प्रमाण पत्र के अवलोकन से भूमि पर रहन भार समाप्त हो जाना चाहिये था परंतु उक्त नो ड्यूज का नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय दर्ज नहीं किया गया था।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अटरू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज०)

(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर बारां